संख्याः 17/2017/ 441 /45-वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0)/2017

प्रेषक,

विनीत प्रकाश,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊ : दिनांक : 04 मई, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में सामान्य पक्ष अनुदान संख्या 70 में राज्य योजना में स्टेट इनर्जी कन्जर्वेशन फण्ड मद में प्राविधानित धनराशि में से लेखानुदान अवधि के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-19/ यूपीनेडा-स्टेट इनर्जी कन्जर्वेशन फण्ड/ईसी-35/2017-18, दिनांक 06 अप्रैल 2017 एवं पत्र संख्या-355/ यूपीनेडा-स्टेट इनर्जी कन्जर्वेशन फण्ड/ईसी-35/2017-18, दिनांक 25 अप्रैल 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत यूपीनेडा को स्टेट डेजीगनेटेड एजेंसी नामित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 के अन्तर्गत निहित विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत सृजित इनर्जी कन्जर्वेशन फण्ड का उपयोग किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में ऊर्जा विकास अभिकरण, उ0 प्र0 को अनुदान संख्या-70 के स्टेट इनर्जी कन्जर्वेशन फण्ड योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 20,00,000 (रू0 बीस लाख़ मात्र) में से लेखानुदान अवधि (अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक) के लिये धनराशि रू0 8.00 लाख (रू0 आठ लाख़ मात्र) निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित / व्यय करने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित/ व्यय किए जाने के पूर्व निदेशक, यूपीनेडा द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

(2)- स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व निदेशक, यूपीनेडा द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/2017/ बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी 2017 एवं अन्य संगत शासनादेशों/ वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3)- स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ सक्षम स्तर से प्राप्त करके अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर सुसंगत नियमों के अधीन व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)- स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोग के लिये नही किया जायेगा। योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।

(5)- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(6)- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से एवं विलम्बतम 31 मार्च, 2018 तक कर लिया जाय। राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2018 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग, नियोजन विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

(7)- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग / नियोजन विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अधीन राजस्व-लेखा शीर्षक-''2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-60-अन्य-800-अन्य व्यय-05-स्टेट इनर्जी कन्जर्वेशन फण्ड-42 अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/2017/ बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी 2017 एवं पत्र संख्या 3/2017/बी-1-348/दस/2017-231/2017 दिनांक 20 मार्च 2017 द्वारा जारी दिशा निर्देशों में निहित व्यवस्था के अर्न्तगत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

विनीत प्रकाश)
अनु सचिव ।

संख्याः एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
(4) राज्य योजना आयोग-1
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र ., इलाहाबाद।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

विनीत प्रकाश)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in